



असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लाभांश वितरण नीति

विषयसूची

1. संक्षिप्त रूप और पूर्ण रूप	2
2. पृष्ठभूमि.....	3
3. लाभांश घोषित करते समय विचार किए जाने वाले कारक.....	3
3.1 बाहरी कारक	3
3.1.1 आर्थिक वातावरण	3
3.1.2 पूंजी बाजार.....	3
3.1.3 वैधानिक प्रावधान और दिशानिर्देश	3
3.2 आंतरिक कारक	4
3.2.1 वर्ष के दौरान अर्जित लाभ	4
3.2.2 कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेशियो	4
3.2.3 कंपनी का नेट वर्थ.....	4
4. परिस्थितियां जिसके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं	4
5. प्रतिधारित आय का उपयोग.....	5
6. शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड.....	5
7. नीति में संशोधन/विचलन.....	5

1. संक्षिप्त रूप और पूर्ण रूप

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
सीआरएआर	कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो
डीआईपीएएम	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
डीपीई	सार्वजनिक उद्यम विभाग
आईएफसी	बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
पीएटी	कर पश्चात लाभ
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरईसी	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
सेबी (एलओडीआर) विनियम	सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

2. पृष्ठभूमि

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध संस्थाएं (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को गणना की जाती है) एक लाभांश वितरण नीति तैयार करेंगी जिसका प्रकटन उनकी वार्षिक रिपोर्ट और उनकी वेबसाइटों में होगा। इसके अलावा, बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध संस्थाओं के अलावा सूचीबद्ध संस्थाएं अपनी वार्षिक रिपोर्ट और अपनी वेबसाइटों पर स्वैच्छिक आधार पर अपनी लाभांश वितरण नीतियों का खुलासा कर सकती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मानदंड के अनुसार आरईसी शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, 31 मार्च 2016 को एनएसई के अनुसार इसकी रैंकिंग 105वीं थी। आरईसी की लाभांश वितरण नीति को तैयार किया जा चुका है।

इस नीति का उद्देश्य मोटे तौर पर उन वित्तीय मापदंडों सहित बाहरी और आंतरिक कारकों को निर्दिष्ट करना है, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और जिन परिस्थितियों में कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आदि। इस नीति को मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है और एमओएफ/सेबी/डीपीई/डीआईपीएम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और लागू सीमा तक अन्य दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखकर किया है।

3. लाभांश घोषित करते समय विचार किए जाने वाले कारक

कंपनी का लाभांश भुगतान निर्णय निम्नलिखित बाहरी और आंतरिक कारकों पर निर्भर करता है-

3.1 बाहरी कारक

3.1.1 आर्थिक वातावरण

अनिश्चित या मंदी की आर्थिक और कारोबारिक स्थितियों के मामले में, कंपनी भविष्य के झटकों को सहन करने के लिए भंडार बनाकर मुनाफे के बड़े हिस्से को बनाए रखने का प्रयास करेगी।

3.1.2 पूंजी बाजार

अनुकूल बाजारों के समय में लाभांश भुगतान उदार हो सकता है। हालांकि, प्रतिकूल बाजार स्थितियों के मामले में जहां ऋण की उपलब्धता प्रतिबंधित है, नकदी बहिर्वाह को संरक्षित करने के लिए कंपनी संतुलित लाभांश भुगतान का सहारा ले सकती है।

3.1.3 वैधानिक प्रावधान और दिशानिर्देश

कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखेगी। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लाभांश घोषणा के संबंध में भारत सरकार द्वारा लागू दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

3.2 आंतरिक कारक

लाभांश की घोषणा पर विचार करने से पहले कंपनी विभिन्न वित्तीय मापदंडों पर विचार करती है। जो निम्नानुसार है

3.2.1 वर्ष के दौरान अर्जित लाभ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया जाएगा, सिवाय उस वर्ष कंपनी के लाभों के, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष/वर्षों के लिए कंपनी के लाभों में से मूल्यहास के पश्चात् आए।

3.2.2 कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेशियो

आईएफसी होने के नाते, आरईसी को 15% (न्यूनतम टियर I पूंजी 10% के साथ) का सीआरएआर बनाए रखना आवश्यक है। तदनुसार, लाभांश की घोषणा करते समय सीआरएआर के लिए अपेक्षित आंकड़े को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि यह निर्धारित आंकड़े का उल्लंघन न करे।

3.2.3 कंपनी का नेट वर्थ

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को पीएटी के 30% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश या नेट-वर्थ का 5% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना होगा, जो भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमेय अधिकतम लाभांश के अधीन अधिक हो। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आरईसी को समय-समय पर जारी किए जाने वाले इन दिशानिर्देशों या उसके बाद के किसी भी संशोधन का भी पालन करना आवश्यक है।

उपरोक्त वित्तीय मानदंडों के अलावा, कंपनी विभिन्न अन्य आंतरिक कारकों पर भी विचार कर सकती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा शामिल हैं:

- मौजूदा कारोबार की वर्तमान और भविष्य की पूंजी आवश्यकताएं;
- कंपनी की अनुषंगी/सहयोगियों में अतिरिक्त निवेश करना;
- कोई अन्य कारक जिसे उपयुक्त समझा जाता है।

4. परिस्थितियां जिसके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं

लाभांश भुगतान के संबंध में ये निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि यह कंपनी के शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने वाले लाभ की मात्रा और कारोबार में बने रहने के लिए लाभ की राशि निर्धारित करता है। यह निर्णय भविष्य के विकास का समर्थन करने के लिए एक स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने के लिए लाभांश के माध्यम से उचित रूप से पुरस्कृत शेयरधारकों और मुनाफे को बनाए रखने के दोहरे उद्देश्यों को संतुलित करना चाहता है।

कंपनी अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान करती रही है और उचित रूप से भविष्य में भी घोषणा जारी रखने की उम्मीद की जा सकती है जब तक कि कंपनी द्वारा निर्धारित आरबीआई या ऊपर सूचीबद्ध कोई भी बाहरी या आंतरिक कारक न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त लाभ या पर्याप्त पूंजी की अनुपलब्धता के कारण लाभ घोषित करने से रोका नहीं जाता है।

इसके अलावा, हालांकि कंपनी डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी खंड 3.2.3 के तहत निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है। हालांकि, कंपनी विभिन्न वित्तीय मापदंडों, नकदी प्रवाह की स्थिति और भविष्य के विकास के लिए आवश्यक धन के विश्लेषण के बाद और प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन के बाद कम लाभांश का प्रस्ताव रख सकती है।

5. प्रतिधारित आय का उपयोग

कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण में लगी हुई है और प्रतिधारित आय को दीर्घकालिक अवसंरचना ऋण परिसंपत्तियों में लगाया जाता है। कारोबार में बनाए रखा जा रहा मुनाफा अवसंरचना ऋणों में लगाना जारी रहेगा और इस प्रकार कंपनी के कारोबार और प्रचालन के विकास में योगदान देगा। कंपनी अपने सभी हितधारकों को स्थायी मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

6. शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड

कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक, रिकॉर्ड तिथि के अनुसार लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। चूंकि कंपनी ने समान वोटिंग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी जारी की है, इसलिए कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर समान लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। शेयरों की किसी भी नई श्रेणी को जारी करते समय नीति की प्रकृति और दिशा-निर्देशों के आधार पर उपयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी।

7. नीति में संशोधन/ विचलन

सीएमडी इस नीति में किसी भी मामूली संशोधन/ विचलन को मंजूरी देने के लिए अधिकृत हैं और नीति के संबंध में किसी भी व्याख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।